क्रम-संख्या–329

रजिस्ट्रेशन नम्बर–जी०–11/लाई०–
न्यूज पेपर/91/05–06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 21 नवम्बर, 2007

कार्तिक 30, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 2381/79–वि–1-07-1(क)38-2007

लखनऊ, 21 नवम्बर, 2007

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 19 नवम्बर, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2007

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40 सन 2007]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जाएगा।

(2) यह 10 अगस्त, 2007 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964 की धारा 26-ख का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 26-ख में,–

(1) उपधारा (1) में,–

(क) शब्द "राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और तीन उपाध्यक्ष जो कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त गैर-सरकारी सदस्य होंगे" रख दिये जाएंगे।

(ख) खण्ड (क) में शब्द "यदि वह अध्यक्ष न हो" के स्थान पर शब्द "या सचिव की श्रेणी से अन्यून उसका नाम निदेशिती" रख दिए जायेंगे।

(ग) खण्ड (ख) में शब्द "सचिव" के स्थान पर शब्द "प्रमुख सचिव/सचिव" रख दिए जायेंगे।

(घ) खण्ड (ग) में शब्द "सचिव" के स्थान पर शब्द "प्रमुख सचिव/सचिव" रख दिए जायेंगे।

(ङ) खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्–

"(घ) कृषि विभाग में राज्य सरकार का प्रमुख सचिव/सचिव।"

(2) उपधारा (2) में शब्द "अध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "उपाध्यक्ष" रख दिया जायेगा।

धारा 26-ग, 26-घ और 26-ङ का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 26-ग, 26-घ और 26-ङ में शब्द "अध्यक्ष" जहाँ-जहाँ आए हों, के स्थान पर शब्द "उपाध्यक्ष" रख दिए जायेंगें।

धारा 26-ञ का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 26-ञ में शब्द "अध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "उपाध्यक्ष" रख दिए जायेंगे।

धारा 26-त का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 26-त में, उपधारा (2) में, खण्ड (2) में शब्द "सदस्यों" के स्थान पर शब्द "उपाध्यक्ष" और "सदस्यों" रख दिए जायेंगे।

धारा 26-व का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 26-व में शब्द "अध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष" रख दिए जायेंगे।

निरसन एवं अपवाद

7–(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 24 सन् 2007

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश की धारा 9, 10, 11, 12, 13 और 14 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् के सुगम कार्य संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1964) को संशोधित करके मुख्यतः यह व्यवस्था की जाय कि प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार, उत्तर प्रदेश सरकार उक्त परिषद् के पदेन अध्यक्ष होंगे और उक्त परिषद् में तीन उपाध्यक्ष होंगे जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त गैर सरकारी सदस्य होंगे।

तदनुसार उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2007 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
सै0 मजहर अब्बास आब्दी,
प्रमुख सचिव।

No. 2381/LXXIX-V-1-07-1 (ka) 38-2007

Dated Lucknow, Novmber 21, 2007

IN pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 40 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented by the Governor on November 19, 2007 :–

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI (SANSHODHAN) ACT, 2007

[U.P. ACT NO. 40 OF 2007]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislaure)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam,, 1964.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows :–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007.

Amendment of section 26-B of U.P. Act no. 25 of 1964

2. In section 26-B of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964, hereinafter referred to as the principal Act,–

(1) in sub-section (1),–

(a) for the words "a Chairman appointed by the State Government" the words 'The Principal Secretary/Secretary to the Government of Uttar Pradesh in Agriculture Marketing and Foregien Trade Department as the *ex-official* Chairman and three Vice-Chairman who shall be non-official members appointed by the State Government" shall be *substituted*.

(b) in clause (a) *for* the words "if he is not the Chairman" the words "or his services not below the rank of Secretary" shall be *substituted.*

(c) in clause (b) *for* the word "Secretary" the words "Principal Secretary/Secretary" shall be *substituted.*

(d) in clause (c) *for* the word "Secretary" the words "Principal Secretary/Secretary" shall be *substituted.*

(e) for clause (d) the following clause shall be *substituted,* namely –

"(d) the Principal Secretary/Secretary to the State Government in the Agriculture Department."

(2) In sub-section (2) *for* the word "Chairman", the words "a Vice-Chairman" shall be *substituted.*

Amendment of section 26-C, 26-D and 26-E

3. In section 26-C, 26-D and 26-E of the principal Act, *for* the word "Chairman" wherever occuring the word "Vice-Chairman" shall be *substituted.*

Amendment of section 26-J

4. In section 26-J of the principal Act, *for* the words "The Chairman" the words "a Vice-Chairman" shall be *substituted.*

Amendment of section 26-P

5. In section 26-P of the principal Act, in sub-section (2), in clause (ii) *for* the words "to members" the words "to the Vice-Chairman and members" shall be *substituted.*

Amendment of section 26-W

6. In section 26-W of the principal Act, *for* the word "Chairman" the words "Chairman, Vice-Chairman" shall be *substituted.*

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to ensuring smooth functioning of the State Agricultural Produce Market Board, it has been decided to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U.P. Act No. 15 of 1964) mainly to provide that the Principal Secretary/Secretary, to the Government of Uttar Pradesh Agriculture in Marketing and Foreign Trade shall be the *ex-officio* Chairman of the said Board and that there shall be three Vice-Chairman in the said Board who shall be non-official members appointed by the State Government

The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Vidheyak, 2007 is introduced accordingly.

By order,
S.M.A. ABIDI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए० पी० 710 राजपत्र (हि०)-(1733)-2007-597 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए० पी० 367 सा० विधा०-(1734)-2007-850 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।